सुनवाई हाईकोर्ट में ओबीसी पक्ष की दलील, आज फिर दोपहर बाद होगी सुनवाई

आबादी ही आरक्षण का आधार, क्वांटिफायबल डाटा नहीं

नवभारत,जबलपुर। मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से जुड़े बहुचर्चित प्रकरण में मंगलवार को हाईकोर्ट की विशेष युगलपीठ के समक्ष लगातार आठवें दिन सुनवाई हुई। प्रशसनिक न्यायाधीश आनंद पाठक व न्यायाधीश विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष ओबीसी पक्ष की ओर से दूसरे दिन भी विस्तृत बहस जारी रही। बहस पूरी नहीं हो सकी, इसलिए मामले की अगली सुनवाई आज बुधवार 29 जुलाई को दोपहर 2.30 बजे निर्धारित की गई है।

ओबीसी पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह ने तर्क दिया कि संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी प्रकार के आरक्षण का आधार जनसंख्या और समुचित प्रतिनिधित्व है, न कि क्वांटिफायबल डाटा। उन्होंने कहा कि केवल ओबीसी आरक्षण को अधिक बताकर चुनौती देना संविधान के समानता के सिद्धांत के विपरीत है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण लागू करने से पहले भी इस प्रकार का डाटा एकत्र नहीं किया गया था। ओबीसी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, पुष्पेंद्र कुमार शाह ने पैरवी की। ओबीसी पक्ष की बहस पूरी होने के बाद राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। बहस के दौरान कहा गया कि लगभग 51 प्रतिशत आबादी वाले ओबीसी वर्ग को लंबे समय तक केवल 14 प्रतिशत आरक्षण मिला, बाद में इसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया। यदि अन्य वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व दिया गया है तो केवल ओबीसी आरक्षण पर ही आपत्ति उठाना न्यायसंगत नहीं है। ओबीसी पक्ष ने सरकार से यह भी स्पष्ट करने की मांग की कि विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत किन संवैधानिक और प्रशासनिक आधारों पर तय किया गया। अधिवक्ता शाह ने संविधान सभा की चर्चाओं, काका कालेलकर आयोग (1955), मंडल आयोग (1980), इंद्रा साहनी प्रकरण तथा तमिलनाडु में लंबे समय से लागू आरक्षण व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16(4) में आरक्षण की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व कानून की व्याख्या करना है, नया कानून बनाना नहीं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा भी सुनवाई में उठा। ओबीसी पक्ष ने कहा कि 103 वें संविधान संशोधन के बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया, जिसे मध्य प्रदेश में वर्टिकल श्रेणी में लागू करने से कुल आरक्षण 60 प्रतिशत तक पहुंच गया है। ऐसे में केवल ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक बताना उचित नहीं है।

हाईकोर्ट परिसर में वीसी कक्ष और लिफ्ट का एसीजे ने किया लोकार्पण

हाईकोर्ट परिसर में न्यायिक सुविधाओं के विस्तार और अधोसंरचना को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में मंगलवार को महत्वपूर्ण पहल की गई। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने नवनिर्मित आर्बिट्रेशन व मीडिएशन सेंटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा तथा गेट क्रमांक-तीन के समीप स्थापित लिफ्ट क्रमांक-पांच का लोकार्पण किया। नए आर्बिट्रेशन व मीडिएशन सेंटर में चार अत्याधुनिक आर्बिट्रेशन कक्ष और चार मीडिएशन कक्ष तैयार किए गए हैं। इससे वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली को गति मिलेगी और पक्षकारों को न्यायालय के बाहर विवादों के त्वरित निराकरण में सुविधा होगी। इसके अलावा सिल्वर जुबली हाल के प्रथम तल पर तीन स्वतंत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्षों की शुरुआत की गई है। इन सुविधाओं के माध्यम से अधिवक्ता एक ही समय में अलग-अलग न्यायालयों की वर्चुअल सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। इससे न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक के उपयोग को और बढ़ावा मिलेगा। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गेट क्रमांक-तीन के पास नई लिफ्ट क्रमांक-पांच भी प्रारंभ की गई है।

जेवर हड़पे, मोबाइल फाइनेंस कराया, झूठे केस में फंसाने की धमकी

सगी बहन की धोखेबाजी भाई पहुंचा एसपी ऑफिस

नवभारत, जबलपुर। एक भाई ने अपनी ही सगी बहन और जीजा के खिलाफ धोखाधड़ी, मानसिक प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपी है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि बहन ने न सिर्फ उसके नाम पर हजारों का चूना लगाया, जेवर हड़प लिए बल्कि अब पैसे और जेवर वापस मांगने पर पूरे परिवार को झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रच रही है।

नया आनंद नगर निवासी 28 वर्षीय मोहम्मद जावेद ने बताया कि उनकी सगी बहन रोशनी ने उनके नाम का इस्तेमाल करके 60,000 का एक महंगा मोबाइल फोन फाइनेंस कराया था। तय यह हुआ था कि मोबाइल की मासिक किस्तें रोशनी खुद भरेगी। लेकिन मोबाइल मिलते ही रोशनी ने हाथ खींच लिए और एक भी किस्त नहीं चुकाई। इस धोखेबाजी के कारण पूरा वित्तीय बोझ और बैंक का दबाव भाई जावेद के ऊपर आ गया है। पीड़ित जावेद के अनुसार, मामला सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं है। रोशनी और उसकी एक अन्य बहन शबनम बानो ने परिवार की शादी में पहनने का बहाना बनाकर सोने-चांदी के कीमती जेवर लिए थे। शादी बीत जाने के लंबे समय बाद भी जब जेवर वापस नहीं मिले, तो भाई ने अपने हक के पैसे और गहने वापस मांगे। आरोप है कि जब जावेद ने अपने पैसे और जेवर के लिए पारिवारिक दबाव बनाया, तो रोशनी और उसके पति मोहम्मद अनीश निवासी सब्जी मंडी के पीछे, अधारताल ने अपनी नीयत बदल ली। पैसे और गहने वापस न करने पड़ें, इसके लिए इस दंपति ने जावेद और उसके दोस्तों के खिलाफ झूठी, शिकायतें दर्ज कराना शुरू कर दिया है ताकि भाई दबाव में आकर अपने पैसे भूल जाए। पीड़ित जावेद ने आवेदन में साफ लिखा है कि उन्होंने इस मानसिक प्रताड़ना और धोखाधड़ी के खिलाफ पहले थाना अधारताल में भी लिखित आवेदन दिया था, लेकिन वहां की पुलिस ने मामले में कोई ठोस जांच या कार्रवाई नहीं की। पुलिस से निराश होकर पीड़ित अब सीधे पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे हैं।

एक नजर में

टहल रहे बुजुर्ग से झपट्टा आईफोन

नवभारत, जबलपुर। ओमती थाना अंतर्गत भवरताल गार्डन के पास टहल रहे 71 वर्षीय बुजुर्ग का आईफोन बाइक सवार तीन बदमाशों ने झपट लिया। पुलिस ने बताया कि राजेंद्र कुमार खरे निवासी नेपियर टाउन बीती रात लगभग 9:20 बजे खाना खाने के बाद रोज की तरह टहलने निकले थे। वे भवरताल गार्डन के पास वॉक कर रहे थे। उनके हाथ में मोबाइल फोन था। इसी दौरान चर्च की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर तीन अज्ञात युवक आए। बाइक पर सबसे पीछे बैठे लड़के ने तेजी से झपट्टा मारा और बुजुर्ग के हाथ से आईफोन छीनकर तीनों आरोपी बाइक से फरार हो गए।

छोटा हाथी ने एफआरव्ही में मारी टक्कर

नवभारत, जबलपुर। गढ़ा थाना अंतर्गत त्रिपुरी चौक में एक तेज रफ्तार छोटा हाथी ने सड़क किनारे खड़ी एफआरव्ही में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पुलिस वाहन का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार महाराजपुर आधारताल निवासी अंकित मार्को गढ़ा थाने में शासकीय वाहनएफआरव्ही क्रमांक एमपी 04 वाय क्यू 7790 का चालक हैं। वे रात करीब 8 बजे भोपाल से मिले एक इमरजेंसी इवेंट को अटेंड करने गए थे। कालर काजल शर्मा का इवेंट क्लियर करने के बाद, वे त्रिपुरी चौक में एफआरव्ही को सड़क किनारे खड़ा किया था। इसी दौरान पिसनहारी की मढ़िया की तरफ से आ रहे एक छोटा हाथी वाहन के चालक ने अपनी गाड़ी को बेहद तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाया। उस लोडिंग गाड़ी छोटा हाथी क्रमांक एमपी 20 एक्स एफ 3616 में करीब 35 से 40 फीट लंबा बांस बाहर निकला हुआ लोड था। आरोपी चालक ने रोड किनारे खड़ी पुलिस की गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे सरकारी वाहन की ड्राइवर साइड की बैक लाइट और बॉडी डैमेज हो गई।

दहेज के लिए नवविवाहिता को पीटा

नवभारत, जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत एकता विहार कॉलोनी में कम दहेज लाने पर नवविवाहिता को प्रताड़ित कर उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने पति और सास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि एकता विहार कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय पायल तिवारी का विवाह 21 नवंबर 2025 को सामाजिक रीति-रिवाज के साथ अंचल दुबे से हुआ था। शादी में माता-पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार गृहस्थी का सामान और सोने-सामान के गहने दिए थे। शादी के एक महीने बाद से ही पति और सास कम दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगे। बीती रात पति अंचल ने शराब के नशे में पायल के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पड़ोस की एक महिला ने बीच-बचाव कर पीड़िता को बचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सास के तानों और रोज-रोज के झगड़े से तंग आकर बहू ने की थी खुदकुशी, एफआईआर दर्ज

नवभारत, जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत उदयनगर नंबर 1 में सास के तानों और रोज-रोज के झगड़े से तंग आकर बहू ने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। मर्ग जांच के बाद पुलिस ने मृतिका की सास के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, उदयनगर निवासी मोनिका चौधरी (35) ने 15 जुलाई 2026 की सुबह करीब 9-30 बजे अपने घर के कमरे में फांसी लगा ली थी घटना के तुरंत बाद पति सुभाष चौधरी सुबह 11 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचा था। वहां डॉक्टरोश ने चेक करने के बाद मोनिका को मृत घोषित कर दिया था। अस्पताल से मिली सूचना के बाद रांझी पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। मर्ग जांच के दौरान पुलिस ने मृतिका मोनिका की बड़ी व छोटी बहन, बेटियों, मां और भाई के बयान दर्ज किए। परिजनों ने बताया कि सास कृपादेवी घरेलू बातों को लेकर मोनिका से आए दिन विवाद करती थी। घटना वाले दिन सुबह 9 बजे भी दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी। मोनिका की बड़ी बेटी ने भी पुलिस को बताया कि सुबह दादी कृपादेवी और मां के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसकी मां अत्यधिक क्रोध में आकर कमरे के अंदर चली गई और यह आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस की पूरी जांच और परिजनों के बयानों से यह साफ हो गया कि मोनिका चौधरी को उनकी सास कृपादेवी चौधरी ने आत्महत्या के लिए उकसाया था। इसके बाद पुलिस ने सास कृपादेवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना जारी है।

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर जताई नाराजगी, दिया जमानत का लाभ

नवभारत,जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने सतना पुलिस की विवेचना पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति घटना के समय मुंबई में रह रहा था, तो वह सतना में अपराध कैसे कर सकता है। पुलिस अधिकारी का दायित्व है कि उपलब्ध दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच करें, यदि आरोपी के पक्ष में इतने सारे दस्तावेज मौजूद थे, तो यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उसे आखिर किस आधार पर गिरफ्तार किया गया।

कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामले में सतना निवासी सतीश कुमार त्रिपाठी की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट के समक्ष आरोपी की ओर से अधिवक्ता अक्षय नामदेव ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि घटना की सात सितंबर 2025 को वह मुंबई में रह रहा था। उसने मुंबई में निवास, मोबाइल की लाइव लोकेशनए फोटो और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए। पुलिस के नोटिस पर वह स्वयं मुंबई से सतना आया और जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा, लेकिन इसके बावजूद केवल वाहन का पंजीकृत स्वामी होने के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने माना कि आवेदक घटनास्थल पर नहीं मिला था और उसकी गिरफ्तारी मुख्यत- वाहन स्वामित्व के आधार पर हुई। इन परिस्थितियों व विचारण में समय लगने की संभावना को देखते हुए न्यायालय ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया।

फेसबुक पर रील देखते मोबाइल में डाउनलोड हुआ खतरनाक एप, खाते से उड़े 2.74 लाख

नवभारत, जबलपुर। गढ़ा निवासी बुजुर्ग को फेसबुक पर रील देखना भारी पड़ गया। रील्स देखने के दौरान एक विज्ञापन पर क्लिक होने से बुजुर्ग का मोबाइल हैक हो गया और मोबाइल में खतरनाक एप डाउनलोड हो गया। जिसके बाद साइबर ठग ने बिना किसी ओटीपी या जानकारी के उनके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 2 लाख 74 हजार रुपये उड़ा दिए।

पुलिस के मुताबिक, गढ़ा स्थित बीटी बंगला गोदावरी मेडिकोज के सामने निवासी 73 वर्षीय अरुण कुमार श्रीवास्तव अपने मोबाइल पर फेसबुक रील्स देख रहे थे। इसी दौरान स्क्रीन पर जनइप नामक ऐप का एक विज्ञापन आया। गलती से उस पर क्लिक होते ही वह ऐप मोबाइल में डाउनलोड हो गया। ऐप डाउनलोड होने के बाद बुजुर्ग का मोबाइल पूरी तरह हैक हो चुका था। ठगों ने उनके बैंक खाते में सेंध लगाकर तीन बार में 2.74 लाख रुपए निकाल लिए। जांच में सामने आया कि विज्ञापन पर क्लिक करते ही मोबाइल में एक खतरनाक एपीके फाइल इंस्टॉल हो गया था। जिसने पीड़ित की बिना मर्जी, जानकारी या किसी सहभागिता के उनके खाते से कुल 2,74,000 की राशि अवैध रूप से ट्रांसफर कर ली।

आम सूचना

मैं अपने पक्षकार केपरी ग्लोबल हाउसिंग फायेनेन्स लिमि जबलपुर के प्राप्त निर्देशों के अनुसार आम सूचना प्रेषित करता हूँ कि, मेरे पक्षकार के हितग्राहीगण श्रीमती निशा विश्वकर्मा पति स्व. श्री दिनेश विश्वकर्मा, शिवम विश्वकर्मा, सत्येन्द्र विश्वकर्मा, शिवानी विश्वकर्मा पिता स्व. श्री दिनेश विश्वकर्मा निवासी 1545 यशवंत नगर जबलपुर की संपत्ति मौजा बैतला नं.नं. 52 प.ह.नं. 22 डार्य. खसरा नं. 156/2, 156/3 रकवा 1600 वर्गफीट पुराना शास्त्री वार्ड नया सुभाष वार्ड तहसील अधारताल जिला जबलपुर को मेरे पक्षकार की कंपनी में बंधक कर ऋण प्राप्त कर रहे हैं उक्त संपत्ति हितग्राहीगण की पैत्रिक संपत्ति है उक्त संपत्ति मालती देवी पति राजेन्द्र कुमार प्रजापति ने विश्वरंजन एवं मनोहर सिंह से रजि. विक्रय पत्र 28.03.1989 दस्तावेज नं. 7235 के जरिये क्रय की थी। यह लिंक रजि. विक्रय पत्र 28.03.1989 दस्तावेज नं. 7235 गुम हो गया है तथा उक्त संपत्ति मालती देवी से रजि. विक्रय पत्र दिनांक 21.01.2004 दस्तावेज नं 1369 के जरिये श्री दिनेश विश्वकर्मा पिता स्व. श्री लक्ष्मन प्रसाद विश्वकर्मा ने कय की थी। दिनेश विश्वकर्मा के निधन के पश्चात उक्त संपत्ति उनके वारिस/हितग्राहीगण के पक्ष में माननीय तहसीलदार अधारताल जबलपुर द्वारा आदेश दिनांक 27.07.2026 रा. प्र. कं. 0998/1-6/2026-2027 के जरिये फोती नामांतरण आदेश किया गया है उक्त सपंत्ति पर हितग्राहीगण मालिक काबिज है उक्त संपत्ति के संबंध में यदि आम जनता, व्यक्ति, संस्था, बैंक, सरकारी/गैर सरकारी, प्राधिकरण या अन्य को ऋण सुरक्षा में बंधक/ रहन/ गिरवी में किसी प्रकार की आपत्ति हो या किसी का कोई हक्क, हिस्सा, दावा उक्त जायदाद पर हो, तो इस सूचना पत्र के प्रकाशन से 07 दिनों के अन्दर मेरे समक्ष / मेरे पक्षकार के समक्ष मय दस्तावेजों सहित, लिखित आपत्ति प्रस्तुत करे, निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त न होने पर मेरे पक्षकार द्वारा उक्त सम्पत्ति को ऋण सुरक्षा में बंधक कर ऋण स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, तत्पश्चात किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

जबलपुर — **बृजेन्द्र बड़गैयाँ**
दिनांक 27.07.2026 — **(एडवोकेट)**
कार्या - 823 शाहीनाका गढ़ा जबलपुर
मो. नं. 7999056327

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पाटन, जिला-जबलपुर (म.प्र.)

Presiding Officer : नारायण यादव

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCS A/0000156/2021)
हुकुम विश्वकर्मा....... वादी
Vs
रामप्रसाद विश्वकर्मा व अन्य .... प्रतिवादी
Process Id-/2026
प्रेषिती- पेशी दिनांक :- 18/08/2026

(1) नरेश पिता रामप्रसाद पता - सभी निवासी भूकंप कालोनी महावीर नगर धनवंतरी नगर जिला जबलपुर म.प्र. (2) दिनेश पिता राम प्रसाद पता - सभी निवासी भूकंप कालोनी महावीर नगर धनवंतरी नगर जिला जबलपुर म.प्र. (3) सुरेश पिता राम प्रसाद पता - सभी निवासी भूकंप कालोनी महावीर नगर धनवंतरी नगर जिला जबलपुर म.प्र.

यह कि प्रार्थी हुकुम विश्वकर्मा ने आपके विरुद्ध सिविल सूट ए के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।

यह आज तारीख 17 July 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया हैं।
न्यायालय की मुद्रा

सील — **न्यायाधीश**
(नारायण यादव)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पाटन, जिला-जबलपुर (म.प्र.)

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पाटन, जिला-जबलपुर (म.प्र.)

Presiding Officer : नारायण यादव

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCS A/0000092/2021)
हरनारायण शर्मा....... वादी
Vs
रामप्रसाद विश्वकर्मा व अन्य .... प्रतिवादी
Process Id-/2026
प्रेषिती- पेशी दिनांक :- 18/08/2026

(1) नरेश विश्वकर्मा पिता रामप्रसाद विश्वकर्मा पता - निवासी भूकंप कालोनी महावीर नगर धनवंतरी नगर के पास तहसील एवं जिला जबलपुर म.प्र. (2) दिनेश पिता राम प्रसाद पता - निवासी भूकंप कालोनी महावीर नगर धनवंतरी नगर के पास तहसील एवं जिला जबलपुर म.प्र. (3) सुरेश पिता राम प्रसाद पता - सभी निवासी भूकंप कालोनी महावीर नगर धनवंतरी नगर के पास तहसील एवं जिला जबलपुर म.प्र.

यह कि प्रार्थी हरनारायण शर्मा ने आपके विरुद्ध सिविल सूट ए के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।

यह आज तारीख 23 July 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया हैं।
न्यायालय की मुद्रा

सील — **न्यायाधीश**
(नारायण यादव)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पाटन, जिला-जबलपुर (म.प्र.)

गुरुओं ने पढ़ाया मानवता और समरसता का पाठ

नवभारत, जबलपुर। समरसता सेवा संगठन द्वारा सिटी बंगाली क्लब, करमचंद चौक में गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर श्री गुरु चरण वंदन समारोह एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि गुरु हमें ज्ञान देकर अहंकार और भेद-भाव मिटाना सिखाते हैं, तथा संत समाज हमेशा से जाति, ऊंच-नीच और वर्ग के बंधनों से ऊपर उठकर मानवता और समरसता का पाठ पढ़ाते आए हैं। समारोह में महामण्डलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज, जगतगुरू राजारामाचार्य, स्वामी डॉ मुकुंददास महाराज, स्वामी कालीनंद महाराज, साध्वी दीदी ज्ञानेश्वरी, महंत चंद्रशेखरानंद महाराज, पगलानंद महाराज, स्वामी गिरिजानंद महाराज, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ब्रह्मचारिणी बहन भावना दीदी का चरण पूजन संगठन के संस्थापक अध्यक्ष एवं जेडीए अध्यक्ष संदीप जैन, अध्यक्ष पवन पांडे और सचिव मनोज सेठ के साथ उपस्थित सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने किया।

मंच पर विराजमान संतों का हुआ चरण वंदन-कार्यक्रम के दौरान मंच पर एक साथ विराजित सभी संतों का विधि-विधान से पूजन कर आगंतुक जनों ने आशीर्वाद लिया। संगठन के अध्यक्ष पवन पांडे ने बताया कि इस वर्ष प्रत्येक माह एक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत संस्कारधानी वासियों को एक ही स्थान पर सभी गुरुजनों की पूजा-अर्चना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय पुरातन ग्रन्थों के अनुसार गुरू का अर्थ अन्धकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश देने वाला होता है। गुरु तथा देवता में समानता स्थापित करते हुए कहा गया कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है वैसी ही गुरु के लिए भी है क्योंकि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। इस दौरान भजन गायक रवि शुक्ला और मिठाईलाल चक्रवर्ती की टीम ने शानदार भजनों की प्रस्तुति दी और लोगों ने गुरु पूजन के साथ भजनों का भी आनंद लिया। कार्यक्रम में रोहित दुबे, ब्रजेश दीक्षित, प्रमोद ताम्रकार, जगदीश चोहटेल, आशुतोष दीक्षित, डॉ पी के अग्रवाल, विनय असाठी, गिरीश वर्मा, विनय केसरवानी, मुकेश साहू, प्रदीप चौकसे, लक्ष्मण कोरी, जेडीए उपाध्यक्ष प्रशांत केसरवानी, एमआईसी सदस्य रजनी कैलाश साहू और सीमा सिंह उपस्थित रहीं।

पश्चिम मध्य रेल

वाणिज्य विभाग जबलपुर मंडल

मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पश्चिम मध्य रेल जबलपुर,भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित हेतु निर्धारित ई-बोली आमंत्रित करता है। Category : पार्सल, Catalogue No.: JBP-C-PLS-26-27, **सभी लॉटस के लिए एसेट डीटेल**: पार्सल लीज फ्रंट एसएलआर तीन वर्ष के लिए

Lot No.	Auction Start	Auction End
20152-SLR-F1-REWA-HDP-26-1	07.08.26 15:30 hrs	07.08.26 15:40 hrs
12181-SLR-F1-JBP-AII-26-1	07.08.26 15:40 hrs	07.08.26 15:50 hrs
20906-SLR-F1-REWA-EKNR-26-1	07.08.26 15:50 hrs	07.08.26 16:00 hrs
20162-SLR-F1-JBP-PUNE-26-1	07.08.26 16:00 hrs	07.08.26 16:10 hrs
12194-SLR-F1-JBP-YPR-26-1	07.08.26 16:10 hrs	07.08.26 16:20 hrs
15206-SLR-F1-JBP-LJN-26-1	07.08.26 16:20 hrs	07.08.26 16:30 hrs
12186-SLR-F1-REWA-RKMP-26-1	07.08.26 16:30 hrs	07.08.26 16:40 hrs
12062-SLR-F1-MML-RKMP-26-1	07.08.26 16:40 hrs	07.08.26 16:50 hrs
11651-SLR-F1-JBP-SGRL-26-1	07.08.26 16:50 hrs	07.08.26 17:00 hrs
11754-SLR-F1-REWA-NITR-26-1	07.08.26 17:00 hrs	07.08.26 17:10 hrs
22181-SLR-F1-JBP-NZM-26-2	07.08.26 17:10 hrs	07.08.26 17:20 hrs
12187-SLR-F1-JBP-CSMT-26-1	07.08.26 17:20 hrs	07.08.26 17:30 hrs

संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे IREPS वेबसाइट (www.ireps.gov.in) पर E-Auction Leasing मॉड्यूल देखें। लॉट-वार विवरण उपर्युक्त कैटलॉग के तहत उपलब्ध हैं। ई-बोली सूचना मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य), पश्चिम मध्य रेल जबलपुर के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है।
(हस्ता)
कृते मंडल रेल प्रबंधक (वाणिजय), पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

पश्चिम मध्य रेल

सामग्री प्रबंधक विभाग

(भंडार आपूर्ति हेतु 'ई'-निविदा सूचना, संख्या ईपीएस/21/2026

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल भारत के राष्ट्रपति की ओर से ई-खरीद प्रणाली के जरिये निम्नलिखित विज्ञापन निविदाएं आमंत्रित करते है। कोई भी हस्तलिखित/डाक प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पूर्ण विविरण/विनिर्देशन् के लिए बेबसाईट http://ireps.gov.in "पर 'ई' निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

क्रमांक	टेंडर नं.	संक्षिप्त वर्णन	निविदा मात्रा	नियत तारीख
1	81265323	मनुफेक्चर एंड सप्लाई ऑफ मेटल Liner as per ड्राविंग no. RDSO/T&8995	146714 नंबर्स	03/08/2026
2	38261979	हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर कम्पलीट	943 नंबर्स	17/08/2026
3	38262406	इनर स्प्रिंग फॉर कस्नुब 22HS, बोगी TO	14659 नंबर्स	17/08/2026
4	30261656	ड्राफ्ट योके (फैब्रिकेटेड डिजाइन) AS पैर ICF DRG. NO.T-2-1-012, ALT.-q/3 : मटेरियल कन्फर्मिंग TO RDSO SPEC- NO. C-9509, REV-02	566 नंबर्स	25/08/2026
5	65255011	सप्लाई, इंस्टालेशन एंड कमीशनिंग ऑफ 15 TON कैपेसिटी EOT क्रेन as पैर अटैच्ड डाक्यूमेंट्स	2 नंबर्स	27/08/2026
6	61261119	टी-मैक्स इन्सेर्ट्स सैंडविक पार्ट No. 175 32 301940 25 M 3015, विद्या पार्ट No. लंक्स	9972 नंबर्स	27/08/2026
7	65265007	सप्लाई, इंस्टालेशन एंड कमिशनिंग ऑफ फ्लैट वर्क Ironer, रोलर साइज 800 x 3000 mm	2 नंबर्स	01/09/2026
8	38265015	एण्ड स्तानचिओं फॉर बॉक्संहल	1600 नंबर्स	02/09/2026
9	30261502	प्रोक्योरमेंट ऑफ इम्प्रोवेद हाई टेंसिल टाइट लॉक सेंटर बफर कौपलेर विथ AAR-H	387 सेट	07/09/2026
10	20264515	ब्रेक शू कम्पलीट नॉमिनल	24118 नंबर्स	07/09/2026
11	65265006	सप्लाई, इंस्टालेशन - कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सिंक्रोनिसद स्क्रू लिफ्टिंग जैक्स	2 सेट	08/09/2026
12	30261642	गैंगवे ब्रिज मॉउंटिंग असेंबली	603 नंबर्स	09/09/2026

50 लाख रूपये से कम अनुमानित मुल्य वाली निविदओं के लिए इच्छुक फर्मो का www.ireps.gov.in पर जाने की सलाह दी जाती है।
(हस्ता)
कृते वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

MP POORV KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.

BLOCK NO.7, SHAKTI BHAWAN, RAMPUR, JABALPUR (M.P.)
Tel No:0761 2702473, Fax No.0761-2660048
CIN: U40109MP2002SGC015120, e-mail: cepurez@yahoo.in

No. CGM(S&P)/EZ/GM-II/IV/1075 — **TENDER NOTICE** — Jabalpur, dtd: 24.07.2026

Online tender is invited for supply of following item from Traders/authorized dealers/ distributors only as per tender specification. The Bids will be received online on the portal https://mptenders.gov.in up to date & time as per key dates. The tender will be opened in the office of undersigned as mentioned in tender time schedule (key dates) in presence of bidders duly authorized representative who may like to be present at the time of opening of tender: -

Sr. No.	T.S. No. (For e- Tendering) DISCOM /EZ/PUR	NAME OF ITEMS	APPROX. VALUE (Rs. in Lakhs)	TENDER FEE (in Rs)	Due date & time of Opening of Tender (*)
1.	TS-1744 (e-Tender No. 2026_PKVVC_523737_1)	For supply of Furniture for CFO office	2.66	590	13.08.2026

*For updated / extended due dates for opening of tender (EMD in Cover -1 & Techno-commercial bid in Cover-2) please refer to the online key dates.
SAVE ENERGY FOR BETTER TOMORROW. "बिजली संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए 1912 डायल करें" C.G.M. (S&P)

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर (म.प्र.)

// पष्टम निविदा सूचना//

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptender.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	PRO-436 2026_UAD_524892_1 Date-28/07/2026	संभाग क्रमांक-02 कछपुरा स्वामी वीरेन्द्रपुरी वार्ड अंतर्गत कुम्हार मोहल्ला में विशाल चक्रवर्ती के मकान से अमर चक्रवर्ती के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। (पार्षद अनुशंसा)	02 माह ₹.4.22 लाख	2000/- 4221/-	13/08/2026
2.	PRO-436 2026_UAD_524892_2 Date-28/07/2026	संभाग क्रमांक-02 कछपुरा वीरेन्द्रपुरी वार्ड अंतर्गत संजय नगर में रोहणी प्यासी के घर से दिलीप जैन तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य। (पार्षद अनुशंसा)	02 माह ₹.4.20 लाख	2000/- 4201/-	13/08/2026

नोट- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन की वेबसाईट https://mptender.gov.in में पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा। **कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम जबलपुर**

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptender.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य समयावधि एवं लागत (लाख)	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1.	PRO-439 Date-29/07/2026 2026_UAD_524178_1	रानी अवंती बाई 67 के अंतर्गत वार्ड के अंतर्गत कटियाघाट में छात्रावास के पीछे सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु रंगमंच का निर्माण कार्य।	02 Month 3.39	2000.00 3390.00	14/08/2026
2.	PRO-439 Date-29/07/2026 2026_UAD_524178_2	रानी अवंती बाई 67 के अंतर्गत वार्ड के अंतर्गत दुर्गा नगर में श्री रंजीत झारिया के घर के पास में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु रंगमंच का निर्माण कार्य।	02 Month 1.69	2000.00 3380.00	14/08/2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन की वेबसाईट https://mptender.gov.in पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।
कार्यपालन यंत्री नगर पालिक निगम जबलपुर